न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 136/2017 **दायरा दिनांक : 06.10.2017**

उनवान

1— मांगीलाल पुत्र नन्दा, आयु 65 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सेमलीचौहान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2— रतन लाल पुत्र नन्दा, आयु 50 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सेमलीचौहान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— भगवान पुत्र मांगू आयु 50 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सेमलीचौहान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2— सगना बाई पुत्री मांगू पत्नी प्रभूलाल, जाति मेघवाल, निवासी बाननियाखेड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगार (मालवा) मध्यप्रदेश

3— भगवान पुत्र हीरा आयु 58 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सेमलीचौहान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4— भैरू पुत्र मोती आयु 75 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सेमलीचौहान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

5— रतन बाई पुत्री मोती बेवा पूरा, जाति मेघवाल, निवासी सेमलीचौहान, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

6— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री के एल रावल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 50/2016 निर्णय दिनांक 22.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, इस वाद के साथ ही वादीगण ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था । प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा व जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं हुआ था । उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 22.05.2017 तिथि नियत की गई थी, प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु पत्रावली को दिनांक 22.05.2017 को केम्प हरनावदागजा ग्राम पंचायत हरनावदागजा में रख दिया गया, जिसकी कोई सूचना वादीगण को नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प में पक्षकारों के उपस्थित न होते हुए भी आनन फान में वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । मूल वाद में दिनांक 04.10.2017 नियम कर दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2017 से अप्रसन्न होकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध पारित किया गया है जो काबिले निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का जवाब प्रार्थना पत्र लिये ही आदेश दिया है जो खिलाफ कानूनी होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी सैटलमेंट से पूर्व वादीगण के पिता नन्दा उर्फ भवान के खाते में दर्ज थी, जिससे सैटलमेंट द्वारा बिना वादीगण को नोटिस दिये, गलत तौर पर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दी, जो त्रुटिपूर्ण है । वादीगण का विवादित आराजी पर 60 सालों से शांतिपूर्ण

तरीके से कब्जा चला आ रहा है और अपीलांट काबिज काश्त है । अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन होते हुए भी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.09.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट अपील के तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा है । अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा